

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक / स्था. / 2023 / १७।

दिनांक : 07.10.2023

कार्यालय—आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र में लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों पर कुल 32 लिपिक ग्रेड द्वितीय की नियुक्ति दी गई हैं। इसके पश्चात् बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र में प्रोसेस सर्वर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिए जाने एवं मृत राज कर्मचारी के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति के तहत् जिन कर्मचारीगण को वर्ष 2023 में नियुक्ति दी गई हैं, उन कर्मचारीगण को Civil Rules, RSR, GF & AR, Cr.P.C., IPC, कार्यालय प्रबन्धन, मानचित्र (सूचनाओं के संबंध में) एवं लेखा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना है। उक्त प्रशिक्षण बांसवाड़ा मुख्यालय पर दिनांक 14.10.2023 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित किया जा रहा है।

अतः उक्तानुसार बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र में पदस्थापित नव—नियुक्त लिपिक ग्रेड द्वितीय, पदोन्नत लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त लिपिक ग्रेड द्वितीय कर्मचारीगण को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु निम्नानुसार कार्मिकों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रशिक्षण देने हेतु अधिकृत किया जाता है : —

क्र.स.	नाम कर्मचारी मय पद	बिन्दु जिस पर प्रशिक्षण देना है।
1	श्री शहाबुद्दीन शेख, वरिष्ठ मुन्सरिम	सामान्य नियम (दाप्तिक एवं दीवानी), 2018
2	श्री सरफराज एहमद जीलानी, रीडर ग्रेड प्रथम,	कार्यालय प्रबन्धन, राजस्थान सेवा नियम, सामान्य वित्तीय लेखा नियम एवं मानचित्र/सूचनाओं के संबंध में
3	श्री पवन खण्डेलवाल, रीडर ग्रेड प्रथम	दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय दण्ड संहिता
4	श्री अशोक जोशी, शेरिस्तेदार ग्रेड प्रथम	लेखा संबंधी

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र के मुख्यालय से बाहर स्थित न्यायालयों के उपरिथित होने वाले कर्मचारीगण द्वारा टी.ए./डी.ए. का क्लेम नहीं किया जावेगा। साथ ही उपरोक्त वर्णित कर्मचारीगण को प्रशिक्षण के दिन आवश्यक रूप से उपरिथित होना हैं, अगर कोई कार्मिक उस दिन किसी कारण वश उपरिथित होने में असमर्थ हो तो उस कार्मिक को प्रशिक्षण से पूर्व निम्नहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति लिया जाना आवश्यक है।

उक्त कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण बाबत् विषयानुसार समय निर्धारित कर प्रशिक्षण दिया जावेगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक / स्था. / २२९८-२२२९

दिनांक : 07.10.2023

प्रतिलिपि निम्न को भेजकर लेख है कि आपके न्यायालय/कार्यालय में पदस्थापित/कार्यरत नव—नियुक्त लिपिक ग्रेड द्वितीय, पदोन्नत लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त लिपिक ग्रेड द्वितीय कर्मचारीगण को उक्त प्रशिक्षण में निर्धारित दिनांक एवं समयावधि पर उपरिथित होने हेतु पाबन्द किया जाना सुनिश्चित करावें :—

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बांसवाड़ा।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष पोक्सो न्यायालय, बांसवाड़ा।
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा/कुशलगढ़।
4. प्रभाराधिकारी लेखानुभाग, जिला एवं सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।
7. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बांसवाड़ा।
8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़।
9. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटोल।
10. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा/बागीदौरा/गढ़ी/आनन्दपुरी।
11. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।
12. ग्राम न्यायालय, गढ़ी/तलवाड़ा।
13. श्री शहाबुद्दीन शेख, वरिष्ठ मुन्सरिम, विशेष पोक्सो न्यायालय, बांसवाड़ा।
14. श्री सरफराज एहमद जीलानी, रीडर ग्रेड प्रथम, जिला एवं सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा।
15. श्री पवन खण्डेलवाल, रीडर ग्रेड प्रथम, जिला एवं सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा।
16. श्री अशोक जोशी, शेरिस्तेदार ग्रेड प्रथम, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा।
17. प्रिस्टस डाक्टिस्टेंट, ऐला ब्यांग्लालेन, लोहाड़ा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा (राज.)